सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/DEV-3136/JH/124/2024-ESDW-RU-IV

दिनांक : 22.12.2025

सेवा मे,

उपायुक्त,
जिला - राँची,
कलेक्टर कार्यालय,
ब्लॉक- ए, कचहरी चौक,
रांची, झारखंड -834001
ई:मेल- dc-ran@nic.in

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला- राँची ,
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
झारखंड पुलिस,
रांची, झारखंड -834001
ई:मेल- ssp-ranchi@jhpolice.gov.in

विषय: आवास परिसर में बने मकान से कब्जा हटवाने के संबंध में श्रीमती पार्वती लिंडा, पार्वती लिंडा हाउस, ईस्ट जेल रोड, जिला- राँची, झारखण्ड से दिनांक निरंक का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गई अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट / की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

भवदीय

22.12.25

(प्रवीण कुमार सिंह)
अवर सचिव
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:-

श्रीमती पार्वती लिंडा,
पार्वती लिंडा हाउस,
ईस्ट जेल रोड,
जिलाराँची-,
झारखण्ड - 834001

(ii) PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/DEV-3136/JH/124/2024-ESDW

श्रीमती पार्वती लिंडा, पार्वती लिंडा हाउस, ईस्ट जेल रोड, जिला-राँची, झारखण्ड - आवास परिसर में बने मकान से कब्जा हटवाने के संबंध में दिनांक 02.12.2025 को अपराह्न 01:30 बजे आयोग की माननीय सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2025 को आयोग के मुख्यालय , लोक नायक भवन , खान मार्केट , नई दिल्ली में हुई सिटिंग का कार्यवृत्त |

सुनवाई की तिथि एवं समय : 02.12.2025 को अपराह्न 01:30 बजे
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार

श्रीमती पार्वती लिंडा ने अपने अभ्यावेदन में अवगत कराया है कि उन्होंने जून 2005 में अपने आवास परिसर स्थित मकान को ₹1200 प्रति माह के किराए पर श्रीमती अनिता देवी को आवासीय उपयोग हेतु दिया था। तथापि, किरायेदार द्वारा चार माह पश्चात किराया देना बंद कर दिया गया।आवेदिका ने यह भी उल्लेख किया है कि दिनांक 24 मई 2006 को श्रीमती सविता देवी, पति श्री रमेश सोनी, के साथ आर.एस. प्लॉट संख्या 16, मौजा कोनका में डेढ़ कट्टा भूमि देने के संबंध में एकरारनामा किया गया था। उक्त एकरारनामा के तहत आवेदिका को दिनांक 05 सितंबर 2006 को ₹40,000 तथा 10 अक्टूबर 2006 को ₹50,000 प्राप्त हुए थे। परंतु भूमि संबंधी विवाद न्यायालय (माननीय उच्च न्यायालय) में विचाराधीन होने के कारण आवेदिका एकरारनामा के अनुरूप भूमि हस्तांतरित करने में असमर्थ रहीं।आवेदिका ने यह भी बताया कि परिवार की ओर से श्रीमती अनिता देवी यह दबाव बना रही हैं कि पहले भूमि उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा वे मकान खाली नहीं करेंगी। जबकि एकरारनामा के अनुसार दी गई राशि मात्र ₹90,000 है, और लगभग 20 वर्षों से मकान का किराया भी अदा नहीं किया गया है। आवेदिका द्वारा एकरारनामा के अंतर्गत प्राप्त राशि लौटाने की इच्छा व्यक्त करने पर भी वे न तो राशि स्वीकार कर रहे हैं और न ही मकान खाली कर रहे हैं, बल्कि इस विषय पर विवाद एवं मारपीट की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं।अतः आवेदिका ने आयोग से अनुरोध किया है कि उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उनके मकान को अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जे से मुक्त कराने हेतु उचित एवं शीघ्र कार्रवाई की जाए।

2. मामले में आयोग द्वारा नोटिस दिनांक 27.08.2024 जारी कर उपायुक्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला-रांची, झारखंड से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई ।

3. आयोग के नोटिस के संदर्भ में संबन्धित विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण आयोग द्वारा मामले में दिनांक 02.12.2025 को सुनवाई निर्धारित की गई | तदनुसार उपायुक्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला-रांची, झारखंड को सिटिंग नोटिस दिनांक 20.11.2025 प्रेषित किया गया | आवेदिक को भी इसकी सूचना दी गई |

4. सुनवाई के दौरान उपायुक्त, जिला-रांची एवं अभ्यावेदका विडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित हुए |

5. सुनवाई के दौरान उपायुक्त, जिला रांची द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि राजस्व रिकार्ड की समीक्षा के अनुसार यह मामला सी.एन.टी. अधिनियम, 1908 (छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम) का उल्लंघन प्रतीत होता है। अतः इस प्रकरण में एस.आर.ए. (Settlement Revision Authority)न्यायालय में वाद दायर करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

आशा लकड़ा

6. **सुनवाई के पश्चात आयोग द्वारा मामले में निम्नलिखित अनुशंसाएँ की जाती हैं :**

(i) आवेदिका द्वारा आयोग में दायर शिकायत के परिप्रेक्ष्य में, उपायुक्त, रांची द्वारा इस प्रकरण में सेटलमेंट पुनरीक्षण प्राधिकारी (SRA) न्यायालय में वाद दायर करने की प्रक्रिया प्रारंभ कारवाई जाए तथा उक्त वाद का निस्तारण छह माह के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

(ii) उक्त संबंध में की गई कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report) एक माह के भीतर आयोग को प्रेषित की जाए।

आशा लकड़ा
10/12/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-3136/JH/124/2024-ESDW-RU-IV

Sitting to be held on **02.12.2025 at 01.30 P.M-** आवास परिसर में बने मकान से कब्जा हटवाने के संबंध में **श्रीमती पार्वती लिंडा**, पार्वती लिंडा हाउस, ईस्ट जेल रोड, जिला-राँची, झारखण्ड - 834001 से दिनांक निरंक का अभ्यावेदन।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Consultant		
4	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
II	**Officers from O/o Deputy Commissioner, Ranchi, Jharkhand**		
1.	DC through VC		
2.			
3.			
III	**Officers from O/o Sr. Superintendent of Police, Ranchi, Jharkhand**		
1.			
2.			
3			
IV	**Petitioners**		
	VC		